आवश्यक

संख्या:81/2023/1399/2023/1429915/12-2099/151/2021

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 03 अक्टूबर, 2023

विषयः-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्रॉप रेज्ड्यिू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्राप्त कृषि यंत्र बिलों के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या:1781/12-2-2021 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के क्रम में कृपया अपने पत्र संख्या:अभि०-13(1)/659/शासन पत्रा०/2023-24/लखनऊ, दिनांकः 10 अगस्त, 2023 तथा पत्र संख्याः अभि०-13(2)/847/शासन पत्रा०/2023-24, दिनांकः 06 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत ई-मेल पर प्राप्त कृषि यंत्र बिलों के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 06 नवम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक ई-मेल पर प्राप्त कृषि यंत्र बिलों के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

(i) इन यंत्रों का भुगतान प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजना से, उक्त योजना की अनुदान प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(ii) ई-मेल के माध्यम से प्राप्त बिलों में सम्मिलित समस्त कृषि यंत्रों का विभागीय पोर्टल पर समस्त व्यवस्था उपरान्त पुनः भौतिक सत्यापन श्रेणी-2 एवं श्रेणी-1 के राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा, तथा भौतिक सत्यापन के दौरान यंत्रों को चलवाकर यह लिखित पुष्टि की जायेगी कि कृषक के पास यंत्र उपलब्ध हैं एवं चालू हालत में हैं।

(iii) भौतिक सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी के साथ यंत्र की फोटो (अक्षांश एवं देशान्तर युक्त) विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाए।

(iv) लाभार्थी के पास यंत्र का मूल आर्थराइज (पक्का) बिल, जिसपर बिल नम्बर एवं जी0एस0टी0 का विवरण अंकित हो, होना चाहिए जिसे विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(v) संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सभी जनपदों से सत्यापन की सूचना एकत्र की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vi) विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थी की पंजीकरण संख्या, यदि पी0 एम0 किसान के लाभार्थी होने के कारण परिवर्तित हो गयी है, तो पी0 एम0 किसान की वर्तमान पंजीकरण संख्या भी अंकित की जाए, या पिछली पंजीकरण संख्या में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे भी अंकित किया जाये, जिससे विभागीय पोर्टल पर किसानों का वास्तविक चिन्हांकन किया जा सके।

(vii) लाभार्थी कृषकों को टोकन बुकिंग की चयन प्रक्रिया से मुक्त करते हुए बिल एवं सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए तथा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना से नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(viii) यंत्रों पर अनुदान का भुगतान प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान पैटर्न पर ही किया जाएगा।

(ix) प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना की तद्समय निर्गत गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(x) सत्यापन कार्य पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत बिल अपलोडिंग का कार्य शासनादेश निर्गत होने के पश्चात ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(xi) भुगतान हेतु तैयार एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने के पश्चात किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए **बिन्दु संख्या-x** एवं **बिन्दु संख्या-xi** पर अपेक्षित कार्यवाही दो सप्ताह के भीतर पूर्ण कराकर प्रगति से शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-81/2023/1399(1)/2023/1429915(1)/12-2099/151/2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।